[2021] 12 एस. सी. आर. 294

हरियाणा राज्य

बनाम

एम/एस। शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कं। & एएनआर।

(2021 की सिविल अपील Nos.7379-7380)

14 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एसएस। 34 और 37-सड़क के रखरखाव के लिए एक करोड़ रुपये का अनुबंध दिया गया। 2. 26 करोड़ -

सड़क के रखरखाव की दर 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर पर स्वीकार की गई थी-रखरखाव अनुबंध तब तक वैध था जब अनुबंध केवल 3364 पी. सी. यू. एस. प्रति दिन के लिए था-विवाद तब पैदा हुआ जब पलवल अलीगढ़ रोड से वर्तमान सड़क पर यातायात के मोड़ के कारण ठेकेदार को रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा और प्रति दिन 24418 पी. सी. यू. एस. का भारी यातायात सड़क पर चलना शुरू हो गया जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई-ठेकेदार ने रखरखाव मध्यस्थ के लिए अतिरिक्त खर्च के लिए राशि का दावा किया। 51 करोड़ रुपये प्रति माह 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से नुकसान उठा रहे हैं (दावा संख्या। 1 और 8)-राज्य की ओर से मामला-अपीलकर्ता यह था कि दावे के बयान में, दावेदार ने एक राशि का दावा किया

रु. से। 1. 3 करोड़ दावे के तहत। 1 और 8 और इसलिए पुरस्कार दावा की गई राशि से अधिक था-आयोजित: इस विवाद में कोई सार नहीं है ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दावे के बयान में विशेष रूप से कहा गया है कि रु। मई, 2007 तक 1 करोड़ 3 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था और मई, 2007 के बाद के खर्च का विवरण सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा-इसलिए, मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि को दावे से अधिक नहीं कहा जा सकता है-जहां तक अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थ

19.05.2007 से परे राशि प्रदान करते समय संदर्भ के दायरे को पार कर गया-जिस तारीख को उच्च न्यायालय ने एकमात्र नियुक्त किया था

मध्यस्थ का संबंध है, इसका कोई सार नहीं है-अपीलकर्ता के मामले में कि मध्यस्थ को दावे को या तो 06.03.2006 तक सीमित करना चाहिए था-वह तारीख जिस पर ठेकेदार ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया था या 23.04.2007, वह तारीख जिस पर उच्च न्यायालय ने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था या कम से कम 19.05.2007 तक-वह तारीख जिस पर मध्यस्थ ने संदर्भ में प्रवेश किया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि मध्यस्थ द्वारा दिया गया पुरस्कार तब तक था जब तक कि यातायात को मोड़ नहीं दिया गया था जो जनवरी, 2008 तक था-इसलिए, मध्यस्थ को इस मामले में उचित ठहराया गया था

उक्त अवधि से आगे और अतिरिक्त अवधि तक राशि प्रदान करना।

सड़क का रखरखाव-इसलिए, ठेकेदार के लिए किए गए अतिरिक्त खर्च के कारण नुकसान का हकदार था। सड़क का रखरखाव-किसी भी कल्पना के बिना, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अनुबंध की शर्तों को फिर से लिखा गया था-हालाँकि, मध्यस्थ को अतिरिक्त यातायात की समय अवधि के बाद प्रति किलोमीटर 1,000 रुपये की राशि नहीं देनी चाहिए थी-मध्यस्थ ने 31.05.2010 तक प्रति माह 1,000 रुपये की हानि/राशि प्रदान की है, जो अनुबंध के अंत तक है, जो अतिरिक्त अनुबंध का पूरी तरह से अस्वीकार्य मोड़ है।

जनवरी, 2008 से यातायात का अस्तित्व समाप्त हो गया-इसलिए, मध्यस्थ को जनवरी, 2008 से पहले उपरोक्त समय अवधि से परे कोई राशि नहीं देनी चाहिए थी-उस हद तक मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को विकृत कहा जा सकता है और उस हद तक वर्तमान अपीलों को अनुमति देने की आवश्यकता है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 जब ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दावे का विवरण देखा जाता है, तो दावेदार द्वारा विशेष रूप से कहा जाता है कि

मई, 2007 तक 263/- रुपये की राशि निर्धारित की गई है और मई, 2007 के बाद के खर्च का विवरण सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। यह विशेष रूप से कहा गया है कि मई, 2007 तक किया गया व्यय रु. 1,03,50,263/- है। इसलिए, मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि को दावे से अधिक नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 9.1] [302-बी-सी]

1.2 मध्यस्थ ने नुकसान/राशि का भुगतान किया है

Rs.45,000/- प्रति माह 31.05.2010 तक यानी अनुबंध के अंत तक जो पूरी तरह से अनुज्ञेय मोड़ है

जनवरी, 2008 से अतिरिक्त यातायात बंद हो गया।

इसलिए,

मध्यस्थ को जनवरी, 2008 के बाद उपरोक्त समय अवधि के बाद कोई राशि नहीं देनी चाहिए थी। उस हद तक मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को विकृत कहा जा सकता है और उस हद तक वर्तमान अपीलों को अनुमति देने की आवश्यकता है।

[पैरा 9.5] [303-डी-ई]

ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम ऑफ-शोर एंटरप्राइजेज इंक., (2011) 14

एस. सी. सी. 147; एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास

प्राधिकरण (2015) 3 एस. सी. सी. 49: [2014] 13 एससीआर 895; जे. सी.

बुधराजा बनाम। अध्यक्ष, उड़ीसा खनन निगम। लिमिटेड &

बोर्ड, 1996 (5) स्केल 708; एमएसके प्रोजेक्ट्स इंडिया (जेवी) लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य और अन्र. (2011) 10 एससीसी 573:

कंपनी वी। भारत संघ और अन्य (2011) 15 एस. सी. सी. 101 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2011) 14 एससीसी 147

संदर्भित किया गया है

पैरा 3। 1

[2014] 13 एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पैरा 3। 2

[2008] 1 एससीआर 821

संदर्भित किया गया है

पैरा 3। 2

1996 (5) स्केल 708

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.4।

[2011] 9 एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.4।

3

(2011) 15 एस. सी. सी 101

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.5

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 7379

7380 2021 से।

उच्च न्यायालय के 03.11.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 (ओ एंड एम) के एफ. ए. ओ. No.4482 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार का आदेश और 2011 (ओ एंड एम) के एफ. ए. ओ. No.4482 में 2016 के आर. ए.-सी. आर. No.63 सी. आई. आई. में दिनांकित <आई. डी. 3।

आलोक सांगवान, ए. ए. जी., श्याम दीवान, सीनियर एड. , सुमित कुमार

शर्मा, अनुराग कुल्हरिया, सुश्री दीक्षा शर्मा, आदित्य देशमुख, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहित पॉल, विक्रांत सिंह ब्लोरिया, बिक्रम

द्विवेदी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

हरियाणा राज्य बनाम। एम/एस। शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कं। & एएनआर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.11.2015 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना और

2. शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान अपीलों में नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने अधिनिर्णय पर रोक लगा दी है रुपये. 1,03,50,263/- जहाँ तक दावा संख्या है। 1 और 8 चिंतित हैं।

3. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

3.1 कि अपीलार्थी ने यहाँ पलवल से हसनपुर, हरियाणा तक सड़क के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और रखरखाव के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ठेकेदार को अनुबंध प्रदान किया है।

पक्षों के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार कुछ नियमों और शर्तों पर किलोमीटर। अनुबंध रुपये 5,26,59,688/- के लिए था। कि डिजाइन गणना डेटा के अनुसार, अपीलकर्ता विभाग द्वारा तैयार किए गए विनिर्देश 3364 यातायात तीव्रता पीसीयू के लिए थे (यात्री कार इकाई)/दिन। अनुबंध 31.05.2010 तक था। कि 05.03.2005 पर रेलवे पुल के निर्माण के कारण पलवल अलीगढ़ रोड के बंद होने के कारण, पूरे यातायात को पलवल अलीगढ़ रोड से वर्तमान सड़क की ओर मोड़ दिया गया था। पलवल अलीगढ़ रोड से यातायात के इस मोड़ के कारण, सड़क पर प्रतिदिन 24418 पी. सी. यू. एस. का भारी यातायात चल रहा था, जबकि प्रति दिन 3364 पी. सी. यू. एस. का डिजाइन था, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। कि ठेकेदार-प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, उसे अतिरिक्त खर्च करके भारी मरम्मत करने की आवश्यकता थी। दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। दावा करने वाले अपीलार्थी को कानूनी नोटिस दिया गया था। विवादों का समाधान नहीं किया गया और इसलिए प्रतिवादी संख्या 1-ठेकेदार ने खंड 24 और 25 के अनुसार मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3.2 आई. डी. 1 के आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री आर. एस. जिंदल को नियुक्त किया।

पक्षों के बीच सभी विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ।

कि ठेकेदार ने दावा संख्या सहित विभिन्न दावे प्रस्तुत किए। 1 और 8. वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, दावा Nos.1 और 8 प्रासंगिक हैं। एकमात्र मध्यस्थ ने Nos.1 और 8 के दावे के संबंध में कुल रु. 1,51,95,400/- की राशि प्रदान की। 4. विद्वान मध्यस्थ द्वारा घोषित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा

34 के तहत न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अपीलार्थी-राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दायर की। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है। इसलिए, हरियाणा राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

5. राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार पेश हुए।

प्रतिवादी नंबर 1-ठेकेदार की ओर से अधिवक्ता पेश हुए हैं। 5.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी पहले ही भुगतान कर चुका है

प्रत्यर्थी संख्या 1-इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.08.2016 के अंतरिम आदेश के अनुसार ठेकेदार को 263/- रुपये की राशि।

5.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया है कि मध्यस्थता निर्णय निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है

निम्नलिखित आधारों को छोड़कर:

पुरस्कार दावे से अधिक है;

((i)

मध्यस्थ ने संदर्भ के दायरे को पार कर लिया;

((ख)

मध्यस्थ ने इस संबंध में अनुबंध को फिर से लिखा है -

(iii)

देय राशि जो अनुबंध में निर्दिष्ट की गई थी।

5.3 अब, जहाँ तक आधार संख्या 1 का संबंध है कि पुरस्कार दावे से अधिक है, यह अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि ठेकेदार ने अपने दावे के बयान में रु। 1,03,50,263 / - केवल दावे Nos.1 और 8 के तहत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के बावजूद मध्यस्थ ने कुल रु. 1,51,95,400/- की राशि प्रदान की है, जो दावा की गई राशि से बहुत अधिक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दावे के विवरण को ठेकेदार द्वारा कभी भी संशोधित नहीं किया गया था और इसलिए, मध्यस्थ को दावा की गई राशि से अधिक राशि/राशि प्रदान नहीं करनी चाहिए थी। 5.3. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि Rs.48,45,137/- की अंतर राशि दावे से अधिक है और उस हद तक मध्यस्थता पुरस्कार अमान्य है और हरियाणा राज्य v.

एम/एस। शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कं। & एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

अलग रखे जाने की संभावना। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम के मामले में रिलायंस को इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया है। ऑफ-शोर एंटरप्राइजेज इंक., (2011) 14 एससीसी 147 (पैरा 16)।

5.3. 2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एसोसिएट बिल्डर्स बनाम के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2015) 3 एससीसी

5.4 अब, जहां तक आधार संख्या 2 का संबंध है, कि मध्यस्थ ने संदर्भ के दायरे को पार कर लिया है, यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ इससे अधिक नहीं हो सकता है। संदर्भ का दायरा।

5.4. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि ठेकेदार ने 06.03.2006 पर मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। उच्च न्यायालय ने 23.04.2007 पर एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया और मध्यस्थ ने 19.05.2007 पर संदर्भ दर्ज किया। यह आग्रह किया जाता है कि 19.05.2007 से परे की अवधि के लिए दावों की अनुमति देकर, मध्यस्थ ने संदर्भ के दायरे को पार कर लिया।

5.4. 2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि Rs.57,96,000/- (लगभग) की राशि।

19.05.2007 से 31.07.2008 (सड़क के रखरखाव के लिए राशि के रूप में गणना की गई) के बीच उत्पन्न होने वाले दावों के लिए प्रदान किया गया है। 45,000 / - प्रति किलोमीटर (किमी) प्रति माह)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ के लिए तारीख के बाद संदर्भ के दायरे को पार करने की अनुमति नहीं थी

संदर्भ दर्ज करने पर और इसके परिणामस्वरूप पुरस्कार के लिए उत्तरदायी है एक तरफ रख दें।

5.4. 3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

5.5 जहाँ तक आधार संख्या 3 का संबंध है, मध्यस्थ ने देय राशि के संबंध में अनुबंध को फिर से लिखा है जो अनुबंध में निर्दिष्ट किया गया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ ने [2021] 12 एस. सी. आर. की पारस्परिक रूप से सहमत संविदात्मक दर के बजाय प्रति माह Rs.45,000/- प्रति किलोमीटर की दर से प्रतिवादी संख्या 1-ठेकेदार को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देकर अनुबंध की शर्तों को फिर से लिखा है।

1000/- रुपये प्रति किलोमीटर प्रति माह। यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ के लिए अनुबंध की शर्तों को फिर से लिखने और ठेकेदार को अनुबंध में पहले से तय की गई दर से अधिक दर देने का अधिकार नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह का अभ्यास मध्यस्थ की क्षमता और अधिकार से परे है। रिलायंस को सत्यनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। भारत संघ और अन्य (2011) 15 एस. सी. सी. 101 (पैरा 11)।

5.6 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने आगे तर्क दिया कि अन्यथा भी, राशि मध्यस्थ द्वारा Rs.45,000/- प्रति किलोमीटर प्रति माह पर सम्मानित किया गया

अतिरिक्त यातायात की समय अवधि यानी 31.07.2008 से 31.05.2010 यानी अनुबंध के अंत तक पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सड़क के 9.2 कि. मी. खंड पर यातायात का मार्ग परिवर्तित किया गया जिससे कार्रवाई का कारण जनवरी 2008 से अस्तित्व में नहीं रहा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, मध्यस्थ ने अपीलार्थी को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 45,000 / - अतिरिक्त यातायात की समय अवधि से परे भी प्रति माह प्रति किलोमीटर। यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

6. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए

अपीलें करें।

7. प्रतिवादी नंबर 1-ठेकेदार की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने जोरदार तर्क दिया है कि मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को (i) दावे से अधिक; (ii) संदर्भ के दायरे से अधिक और (iii) अनुबंध में निर्दिष्ट देय राशि के संबंध में अनुबंध को फिर से लिखना नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दावे के विवरण में ठेकेदार ने विशेष रूप से कहा है कि राशि मई, 2007 के महीने तक निर्धारित की गई है और मई, 2007 के बाद के खर्च का विवरण सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि दावा संख्या। 1 और 8 रुपये तक सीमित थे। 1,03,50,263 / - केवल। यह आग्रह किया जाता है कि अभिलेख पर साक्षय की सराहना पर मध्यस्थ ने एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया है। 1,51,95,400 / - दावा संख्या के लिए। 1 और 8, जिसे किसी भी मामले में दावे के विवरण में दावा की गई राशि से अधिक नहीं कहा जा सकता है।

7.1 इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार संदर्भ के दायरे से बाहर था। यह है। प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त राशि का दावा करने के लिए कार्रवाई का कारण पलवल अलीगढ़ रोड से वर्तमान सड़क पर यातायात के मोड़ के कारण सड़क के रखरखाव के कारण अधिक खर्च के कारण उत्पन्न हुआ, जो हरियाणा राज्य बनाम।

06.03.2006 और/या 23.04.2007 और 19.05.2007 से आगे भी जारी रहा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दावे Nos.1 और 8 के तहत मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि को संदर्भ के दायरे से अधिक नहीं कहा जा सकता है।

7.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा प्रति माह <ID1,000/- प्रति किलोमीटर पर भुगतान करने के लिए पारित पुरस्कार को भी अनुबंध में निर्दिष्ट देय राशि के संबंध में अनुबंध का पुनर्लेखन नहीं कहा जा सकता है। यह आग्रह किया जाता है कि जिस समय दोनों पक्षों के बीच अनुबंध लिखा/किया गया था, उस समय अनुबंध की दर रु। 1,000 / - प्रति दिन 3364 पी. सी. यू. एस. के डिजाइन के खिलाफ प्रति माह प्रति किलोमीटर पर सहमति बनी। हालांकि, अनुबंध में प्रवेश करने और ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य करने के बाद पलवल अलीगढ़ रोड से वर्तमान सड़क पर यातायात का मार्ग परिवर्तित हो गया था और प्रति दिन 3364 पी. सी. यू. एस. के डिजाइन की तुलना में प्रति दिन 24418 पी. सी. यू. एस. का भारी यातायात सड़क पर चल रहा था और इसलिए ठेकेदार को प्रति माह Rs.45,000/- प्रति किलोमीटर पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा प्रति माह 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर पर दी गई राशि को अनुबंध में निर्दिष्ट राशि यानी 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति माह से देय राशि के संबंध में अनुबंध को फिर से लिखना नहीं कहा जा सकता है।

31.05.2010 तक यानी अनुबंध के अंत तक। 8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है और अपने विचारशील विचार दिए हैं।

9. कि ठेकेदार को रखरखाव आदि के लिए अनुबंध दिया गया था। अनुबंध राशि रु. 5,26,59,688/- के लिए थी। की दर

स्वीकृत रूप से सड़क के रखरखाव के लिए रु। 12,000 / - प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष या 1,000/- रुपये प्रति किलोमीटर प्रति माह। रखरखाव अनुबंध 31.07.2010 तक वैध था। जब अनुबंध किया गया था, तो अनुबंध केवल 3364 पीसीयूएस प्रति दिन के लिए था। हालांकि, पलवल अलीगढ़ रोड से वर्तमान सड़क पर यातायात के मोड़ के कारण, यातायात में वृद्धि और अतिरिक्त वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के कारण ठेकेदार को रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। इसलिए ठेकेदार ने अतिरिक्त व्यय के लिए राशि का दावा किया

रखरखाव जो यातायात में वृद्धि और अधिक वाणिज्यिक वाहनों के चलने के कारण था। साक्षय की सराहना पर मध्यस्थ के पास [2021] 12 एस. सी. आर. हैं।

प्रति माह Rs.45,000/- प्रति किलोमीटर पर नुकसान का निर्धारण किया (दावा Nos.1 और 8)। 9.1 अपीलार्थी की ओर से मामला कि दावे के बयान के अनुसार, दावेदार ने इस प्रावधान के तहत 263/- रुपये की राशि का दावा किया।

दावा संख्या। 1 और 8 और मध्यस्थ ने रु. <आई. डी. 1,400/- का पुरस्कार दिया है, यह दावा की गई राशि से बहुत अधिक है और इसलिए पुरस्कार दावा की गई राशि से अधिक है, इसमें कोई सार नहीं है। जब ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दावे का विवरण देखा जाता है, तो दावेदार द्वारा विशेष रूप से कहा जाता है कि रु। 1,03,50,263 / - मई, 2007 तक तैयार किया गया है और मई, 2007 के बाद के खर्च का विवरण सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। यह विशेष रूप से कहा गया है कि मई, 2007 तक किया गया व्यय रु. 1,03,50,263/- है। इसलिए, मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि को दावे से अधिक नहीं कहा जा सकता है।

9.2 अब जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि मध्यस्थ ने उस तारीख से आगे की राशि प्रदान करते समय संदर्भ के दायरे को पार कर लिया है, जिस तारीख को उच्च न्यायालय ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की है, उसमें कोई सार नहीं है। अपीलार्थी की ओर से यह मामला कि मध्यस्थ को दावे को या तो 06.03.2006 तक सीमित करना चाहिए था-जिस तारीख को ठेकेदार ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया था या 23.04.2007, जिस तारीख को उच्च न्यायालय ने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था या कम से कम 19.05.2007-जिस तारीख को मध्यस्थ ने संदर्भ में प्रवेश किया था, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्यस्थ द्वारा किया गया दावा तब तक था जब तक कि यातायात को मोड़ नहीं दिया गया था जो जनवरी, 2008 तक था। इसलिए, मध्यस्थ को उपरोक्त अवधि से परे राशि देने और पलवल अलीगढ़ रोड के बंद होने के कारण अतिरिक्त यातायात को मोड़ने तक उचित ठहराया गया।

9.3 अब अपीलार्थी की ओर से निवेदन यह है कि मध्यस्थ ने Rs.45,000/- प्रति किलोमीटर प्रति माह प्रदान करके

अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से देय राशि के संबंध में अनुबंध। यह आग्रह किया जाता है कि अनुबंध के तहत पारस्परिक रूप से सहमत संविदात्मक दर 1,000/- रुपये प्रति किलोमीटर प्रति माह थी और इसलिए 1,000/- रुपये प्रति किलोमीटर प्रति माह से अधिक कोई भी राशि अनुबंध के नियमों और शर्तों से परे है, यह भी आधारहीन है। यह ध्यान दिया जाता है कि जिस समय अनुबंध पारस्परिक रूप से सहमत था, उस समय निर्धारित दर 1,000/- रुपये प्रति किलोमीटर प्रति माह थी और अनुमानित यातायात 3364 पीसीयूएस प्रति दिन था। पलवल अलीगढ़ रोड से यातायात को मोड़ने और हरियाणा राज्य बनाम के कारण अधिक भारी वाहनों के चलने के कारण कार्रवाई का कारण बाद में उत्पन्न हुआ।

एम/एस। शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कं। & एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

जिसके लिए ठेकेदार को सड़क के रखरखाव के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। इसलिए, पलवल अलीगढ़ रोड के बंद होने और यातायात को वर्तमान सड़क की ओर मोड़ने के कारण यातायात में वृद्धि के

कारण सड़क के रखरखाव के लिए हुए अतिरिक्त खर्च के कारण ठेकेदार नुकसान का हकदार था। इसलिए, कल्पना के किसी भी विस्तार से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अनुबंध की शर्तों को फिर से लिखा गया था।

9.4 उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के किसी भी निर्णय पर उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा नहीं किया।

अपीलार्थी मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं क्योंकि वे अपीलार्थी के लिए किसी भी सहायता के नहीं होते हैं।

9.5 हालाँकि, साथ ही अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने यह प्रस्तुत करना उचित ठहराया कि मध्यस्थ को अतिरिक्त यातायात की समय अवधि से परे प्रति माह Rs.45,000/प्रति किलोमीटर की राशि प्रदान नहीं करनी चाहिए थी। मध्यस्थ ने नुकसान/राशि का भुगतान Rs.45,000/- प्रति किलोमीटर प्रति माह किया है। 31.05.2010 अर्थात अनुबंध के अंत तक, जो अतिरिक्त यातायात का पूरी तरह से अस्वीकार्य मोड़ है, जनवरी, 2008 से अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, मध्यस्थ को जनवरी, 2008 के बाद उपरोक्त समय अवधि के बाद कोई राशि नहीं देनी चाहिए थी। उस हद तक मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को विकृत कहा जा सकता है।

और उस हद तक वर्तमान अपीलों को अनुमति देने की आवश्यकता है।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। दावा Nos.1 और 8 के तहत जनवरी, 2008 तक Rs.45,000/- प्रति किलोमीटर प्रति माह राशि/मुआवजा देने वाले मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार की पुष्टि की जाती है। फरवरी, 2008 से 31.05.2010 तक प्रति माह Rs.45,000/- प्रति किलोमीटर पर राशि/मुआवजा देने के लिए मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार, यानी अब तक

अनुबंध का अंत इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। देय और देय राशि का निर्धारण तदनुसार किया जाना चाहिए। वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपीलों को

आंशिक रूप से अनुमति दी गई।